21/7/20 पूर्व निर्धारित सुनवाई तिथि (तारीख पेशी) को पत्रावली पेश हुई। इस दिनांक से पूर्व ही पूरी मानव जाति के अस्तित्व को खतरा पैदा करने वाला COVID-19 वायरस भूमंडल पर फैल चुका है, उक्त महामारी का खतरा भारत में भी पैदा हो गया है। अतः उक्त महामारी से बचाव हेतु संपूर्ण भारत में 22.03.2020 को स्व घोषित जनता कर्फ्यू के आह्वान पर पूरा देश बंद रहा। तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा 24.03.2020 से सम्पूर्ण भारत में प्रथम लॉकडाउन की घोषणा की गई। इसके पश्चात् क्रमशः 4–5 बार लॉकडाउन बढता जा रहा है। तथा राज्य सरकार ने भी अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक / प.33 (2) गृह–9 / 2019 जयपुर दिनांक 22.03.2020 के द्वारा 31.03.2020 तक संपूर्ण राजस्थान में प्रथम लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है। जो क्रमशः निरंतर बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस प्रकार की COVID-19 की गंभीर परिस्थितियों का आंकलन करने पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता पीठासीन अधिकारी लगभग 15 अगस्त 2020 के पश्चात् की तिथि अभिभाषकगण की सुविधा अनुसार देने की अनुमति प्रदान करता हूँ। पत्रावली में 15.08.2020 के पश्चात् अधिवक्ता की सुविधा अनुसार आगामी तारीख पेशी दी जावें।

पेशी ईलतवा होकर पत्रावली पूर्व अनुसार दिनांक 8/9/20 को पेश हो।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

8/9/20 आज दिनांक 8/9/2020 को पत्रावली प्रस्तुति से सम्बंधित पक्षकारो को आवाज लगवायी गयी तथा शाम को 6:00 बजे तक इंतजार किया गया। इसके बावजूद भी कोई उपस्थित नही हुआ। अतः न्यायहित में अन्तिम मौका दिया जाकर पत्रावली दिनांक 17/9/2020 को पेश हो

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

17/9/20 आज पत्रावली 17/9/2020 को पेश हुई। आवाज लगवायी गई अतः वादी की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ वादी के द्वारा न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि राजस्व मण्डल अजमेर
K.T.O.

उक्त प्रकरण में स्टे जारी किया जा चुका है। प्रार्थी
को स्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने हेतु अनेक
बार कहा गया तथा प्रार्थी ने यही कहा की मैं पेश कर दूंगा
तथा लगभग अनेक वर्षों बीत जाने के बाद भी बावजूद भी
पेश नहीं की। अतः प्रार्थी के किये प्रार्थना पर अनेक वर्षों व
अनेक अवसर दिये गये। अतः इसके बावजूद भी न्यायालय के
द्वारा दिये गये समय व अवसर में राजस्व मण्डल द्वारा जारी
किये गये स्टे की प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की। अतः प्रार्थी के द्वारा
कि गई प्रार्थना के आधार पर न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की
तथा तहसीलदार को निर्देश दिया जाता है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर
श्री हरफूलसिंह यादव के द्वारा किये निर्णय की पालना करवाते। तथा
उक्त अपील नॉट-कम्पलेन में अस्वीकार की जाती है।

(हस्ताक्षर)
17/9/20

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)